

Prs  
मध्यप्रदेश शासन,  
लोक निर्माण विभाग,  
मंत्रालय

क्रमांक 7675 / 2015 / 19 / यो

भोपाल, दिनांक 14 दिसंबर, 2015

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,  
भोपाल।
2. परियोजना संचालक,  
पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, म.प्र.,  
भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,
4. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक/संभागीय परियोजना यंत्री,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- कार्यों के निरीक्षण के संबंध में उपकरण साथ रखने बाबत।

प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय अधिकारी जब कार्यों के निरीक्षण हेतु फील्ड में जाते हैं तो कार्य के निरीक्षण एवं उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिये न्यूनतम आवश्यक उपकरण एवं सामग्री भी उनके साथ उपलब्ध नहीं होती है, जिससे कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता का परीक्षण समुचित रूप से नहीं हो पाता एवं निरीक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्रमुख अभियंता से लेकर सहायक यंत्री तक के सभी अधिकारी जब कार्य के निरीक्षण हेतु जायेंगे तो वह अपने साथ निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण साथ रखेंगे।


1. मेटेलिक मेजरिंग टेप- 30 मीटर। ✓
2. स्टील टेप- 3 मीटर।
3. पेनीट्रेशन गेज।
4. थर्मामीटर।
5. स्पीट लेवल।
6. छेनी एवं हथौड़ी।
7. कुदाली एवं गैती।
8. सेम्पल एकत्रित करने हेतु खाली बेग/बोरी।
9. रस्सी (पर्याप्त लंबाई में)।
10. कांकीट क्यूब मोल्ड।

Rus 34  
1.1.16

21/11/15  
30/12/15  
21/11/15  
30/12/15  
Rus 34  
1.1.16

3/ इसके अतिरिक्त साईट की आवश्यकतानुसार अन्य परीक्षण सामग्री एवं उपकरण ले जाई जाये तथा यदि कोई फील्ड टेस्ट करना है तो उसके अनुरूप सामग्री ले जाई जाये। कार्य संबंधी परीक्षणों हेतु विभागीय प्रयोगशालाओं से सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

  
11.12.2015

(सी.पी.अग्रवाल)

सचिव,

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग-